

(c) what action has been taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE/ वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (SHRI K. R. GANESH): (a) No, Sir.

(b) and (c) Does not arise.

तस्करी के माल का भारत में लाया जाना

89. डा० भाई महावीर :

श्री सुन्दर सिंह भण्डारी :

श्री लाल आडवाणी :

श्री जगदीश प्रसाद माथुर :

श्री मान सिंह वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रति वर्ष लगभग 4 सौ करोड़ रुपये के मूल्य का स्वर्ण आदि तस्करी से भारत में लाया जाता है और उस में से केवल पचास लाख रुपये के मूल्य का सामान ही पकड़ा जाता है ;

(ख) इस सम्बन्ध में गत तीन वर्षों के तथ्य क्या हैं तथा तस्करी को रोकने के लिए कौन कौन से प्रभावी कदम उठाए गए हैं और उनका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) क्या भारत-नेपाल व्यापार तथा पारगमन संधि के पश्चात् भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी में कुछ कमी हुई है ?

†[SMUGGLING OF GOODS INTO INDIA

89. DR. BHAI MAHAVIR:

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI:

SHRI LAL K. ADVANI:

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR:

SHRI MAN SINGH VERMA:

Will the Minister of FINANCE/ वित्त मंत्री be pleased to state:

(a) whether it is a fact that gold etc., valued at about Rs. 400 crores

is smuggled into India every year and out of that only Rupees fifty lakhs worth of smuggled goods are seized;

(b) what are the facts for the last three years in this respect; what effective measures have been adopted to stop smuggling and what are the results thereof; and

(c) whether smuggling on Indo-Nepal border has decreased after signing of the Indo-Nepal Trade and Transit Treaty?]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) भारत में प्रति वर्ष तस्कर आयात किये जाने वाले सोने आदि के मूल्य का निर्धारण करना संभव नहीं है ; फिर भी बीजकों में हेर फेर के कारण विदेशी मुद्रा विनिमय की हानि से सम्बन्धित अध्ययन दल ने यह अनुमान लगाया है कि तस्करी के वित्त पोषण के लिए अवैध विदेशी मुद्रा की वार्षिक खपत 160 से 170 करोड़ रुपये तक की होगी ।

पिछले तीन वर्षों में तस्कर-विरोधी उपायों के परिणाम स्वरूप पकड़े गये सोने तथा अन्य वस्तुओं का मूल्य निम्नानुसार था ;

	सोना	अन्य वस्तुएं
वर्ष	मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा दर पर लाख रुपयों में)	(मूल्य, भारतीय बाजार दर लाख रुपयों में)
1968 .	333	1606
1969 .	530	1971
1970 .	428	1779

†[] English translation.

तस्कर व्यापार को रोकने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रशासनिक वैधानिक तथा आर्थिक उपाय किये हैं। सरकार द्वारा किए गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं; व्यवस्थित ढंग से सूचना एकत्रित करना और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन व्यक्तियों के बारे में तस्कर आयात-निर्यात करने का सन्देह है उन पर निगरानी रखना, जिन नौकाओं और वायुयानों पर सन्देह हो उनकी तलाशी लेना, समुद्र तट तथा स्थल सीमाओं के सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों की जांच की व्यवस्था। प्रभावशाली ढंग से रोकने, निवारण करने के लिए समय समय पर अतिरिक्त नौकाओं और मोटरगाड़ियों की व्यवस्था की जाती है। सीमाशुल्क के समाहर्ता, अपर समाहर्ता तथा सहायक समाहर्ता जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को अनन्य रूप से तस्कर विरोधी कार्य की देखभाल करने के लिए सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों में तैनात किया गया है। कुछ वस्तुओं के प्रवेश आयात-निर्यात को रोकने तथा उनको रोकने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के निमित्त विशेष उपाय के रूप में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को संशोधित करके अतिरिक्त व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

(ग) हाल में भारत-नेपाल व्यापार तथा पारगमन संधि (इन्डो नेपाल ट्रेड एण्ड ट्रांजिट ट्रीटी) पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत-नेपाल सीमा पर तस्कर व्यापार में कमी होने के कुछ संकेत मिले हैं।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE/ वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (SHRI K. R. GANESH): (a) and (b) It is not possible to quantify the value of gold etc. that is smuggled into India every year. However, the Study Team on Leakage of Foreign Exchange through Invoice Manipulation has estimated that the annual consumption of illegal foreign exchange to finance

smuggling would be of the order of Rs. 160 to 170 crores.

Value of gold and other goods seized as a result of anti-smuggling measures during the last three years was as indicated below:—

Year			Gold	Other goods
			(Value in Rs. Lakhs at Inter-national monetary rate)	(Value in Rs. lakhs at Indian market rate)
1968	333	1606
1969	530	1971
1970	428	1779

The Government have taken various administrative, legislative and economic measures to combat smuggling. Some of the important measures taken by the Government are as under: systematic collection and follow-up of information, keeping a watchful eye on the suspected smugglers, rummaging of suspected vessels or aircraft, and checking of vulnerable sectors along the coast and the land frontiers. Additional launches and vehicles are being provided from time to time for effective interception, prevention etc. Some senior officers of the rank of Collectors of Customs, Additional Collectors of Customs and Assistant Collectors of Customs have been posted in vulnerable areas to look after anti-smuggling work exclusively. Customs Act, 1962 has been amended making additional provisions to take special measures for the purpose of checking illegal import and export of certain commodities and facilitating their detention. The position is kept under constant review.

(c) There are some indications that smuggling on Indo-Nepal border has decreased after signing of the recent Indo-Nepal Trade and Transit Treaty.]

†[] English translation.